



2026:AHC:58720

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1064 / 2026

अजय कुमार

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मनीष तिवारी, सौरभ त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची की पुनः पुकार की गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी के पत्रावली के साथ उपस्थित श्री आदर्श शुक्ला से सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी तथा राज्य के अधिवक्ता श्री अजय सिंह को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., आवेदक - अजय कुमार को मुकदमा अपराध संख्या 0014/2025 अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, पुलिस स्टेशन - भ्रष्टाचार विरोधी प्रयागराज, जिला - प्रयागराज में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पास से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है और अभियोजन पक्ष का कहना है कि आवेदक ने पैसे ज़मीन पर फेंके थे, जिन्हें बाद में उठा

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया गया कि मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है और संबंधित न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जो संबंधित न्यायालय के उचित आदेशों के लिए लंबित है।

5. शपथपत्र के पैरा 19 और 21 में बताए अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.12.2025 से जेल/कारागार में है।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला एक जालसाजी का है और आवेदक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात था और रिश्वत की रकम की मांग की गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया और जाल बिछाकर बरामद किया गया, हालांकि, जमीन से पैसा उठाया गया था, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुति और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि मामले में विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र संबंधित न्यायालय को भेज दिया गया है, इसके अतिरिक्त, कथित धन जमीन से बरामद किया गया था न कि व्यक्ति और आवेदक से।

8. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्ष्य की प्रकृति और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने वाली किसी भी ठोस सामग्री के अभाव को देखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **अजय कुमार**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो स्थानीय भारी जमानतदार, जो न्याय के हित में लगाई जा रही है के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी भी तरह से पीड़ित/सूचनादाता को हानि नहीं पहुंचाएगा या परेशान नहीं करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा और किसी भी तरह से विचारण के निस्तारण में बिलंब नहीं करेगा।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस.एस., 2023 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 209 बी.एन.एस., 2023 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगी।

(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप विरचित और (iii) धारा 351 बी.एन.एस.एस. अंतर्गत बयान दर्ज। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है और विचारण न्यायालय धारा 269 बी.एन.एस., 2023 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय आवेदक की रिहाई के बाद विचारण को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा।

10. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन पाए जाने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

मार्च 20, 2026

निशा

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।